

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

पर

मास्टर परिपत्र

(30 जून 2006 तक अद्यतन)

(यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है।)



भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी बैंक विभाग

केंद्रीय कार्यालय

मुंबई

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

पर

मास्टर परिपत्र

विषय - वस्तु

1.	ऋण का लक्ष्य	1
2.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमज़ोर वर्ग अग्रिम का वर्गीकरण	2
3.	लघु उद्योगों को ऋण की आपूर्ति	2
4.	अल्प संख्यक समुदायों को ऋण की आपूर्ति	3
5.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमज़ोर वर्ग अग्रिमों की देखरेख और मूल्यांकन	3
6.	सूचना देने की आवश्यकता	4
7.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र/कमज़ोर वर्ग अग्रिमों के लिए रजिस्टर	4
	● अनुबंध I	5
	● अनुबंध II	13
	● अनुबंध III	14
	● अनुबंध IV	16
	● अनुबंध V	24
	● अनुबंध VI	26
	● अनुबंध VII	28
	● परिशिष्ट	32

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

पर

मास्टर परिपत्र

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 1983 में प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की आवश्यकता का परीक्षण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की सिफारिशों स्वीकार कर ली थीं और तदनुसार प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमज़ोर वर्ग को ऋण देने के लक्ष्य निर्धारित किये गए।

1. ऋण के लक्ष्य

1.1 प्राथमिक सहकारी बैंकों पर गठित स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमज़ोर वर्ग को ऋण देने के लिए प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

1.1.1 कुल ऋण और अग्रिम का 60% प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को

1.1.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए कुल अग्रिम का कम से कम 25% (या कुल ऋण और अग्रिमों का 15%) कमज़ोर वर्ग को

1.2 लघु उद्योग क्षेत्र के सभी घटकों (संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर वर्गीकृत) को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उप-लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए;

क्र.सं.	श्रेणी	संयंत्र और मशीनरी में निवेश	कुल एसएसआई अग्रिम में %
I	कुटीर उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, कारीगर और अति लघु उद्योग	5 लाख रूपये तक	40
II	कुटीर उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, कारीगर और अति लघु उद्योग	5 लाख और 25 लाख रूपये के बीच	20
III	अन्य एसएसआई इकाइयां	25 लाख और 100 लाख रूपये के बीच	40

1.3 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम का निर्धारण वेतनभौगी बैंकों के लिए लागू नहीं है।

1.4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकों को संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो वित्तपोषण किए जानेवाले लाभार्थियों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए कार्यप्रणाली और क्रियाविधि को यथोचित रूप से सरल बनाना चाहिए।

2. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग अग्रिमों का वर्गीकरण

- 2.1 जिन अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम और कमजोर वर्ग अग्रिमा माना जाता है, उनका उल्लेख अनुबंध I में किया गया है ।
- 2.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्ग 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत उन लाभार्थियों के रूप में परिभासित किया गया है, समाज के कमजोर वर्ग के रूप में जिनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए केन्द्र बिन्दु बनाया गया है ।
- 2.3 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए यह नोट किया जाए कि बैंक उधारकर्ता के ऋण आवेदन में उल्लिखित प्रयोजन पर ही विचार न करें बल्कि शामिल राशि पर भी विचार करें और जहां आवश्यक हो समर्थित दस्तावेजी प्रमाण मंगवाकर इस बात से आश्वस्त हो लें कि उधार दी गई राशि उसी प्रयोजन पर खर्च की जाएगी जिसके लिए ऋण मंजूर किया गया है । उदाहरण के लिए, छोटे व्यापारियों और छोटे व्यावसायियों को ऋण अनिवार्यतः कार्यशील पूंजी के रूप में होंगे और उन्हें प्राथमिक तौर पर उस माल के दृष्टिबंधक या गिरवी रखने पर दिया जाए जिसका वे कारोबार करते हैं । इसलिए यह जरूरी नहीं कि छोटे व्यापारियों, व्यावसायियों को सोने और जवाहरात की जमानत पर दिए गए ऋण उसी में व्यापार या कारोबार करने के लिए हों । उसी तरह, मकान बनाने के लिए ऋण के मामले में बैंक को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि उधारकर्ता के पास जमीन है और मकान का नक्शा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है या मकान बनाने के लिए वह किसी सहकारी सोसायटी में शामिल हो गया है । जवाहरात की जमानत मात्र से आवेदन फार्म में ऋण लेने का उद्देश्य "हाऊसिंग" लिख देने से बैंक को उसका वर्गीकरण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में नहीं करना चाहिए ।
- 2.4 अतः स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण (ज्वेल ऋण) जो समाज के कमजोर वर्ग द्वारा अधिकतर मामलों में लिया जाता है, ऋण का उद्देश्य और प्रत्येक उधारकर्ता को मंजूर की गई ऋण राशि को, न उसकी जमानत को, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम के वर्गीकरण का मापदंड माना जाना चाहिए ।

3. लघु उद्योग को ऋण की आपूर्ति

- 3.1 बैंकों को अति लघु और लघु उद्योगों की वैध जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण की आपूर्ति को बढ़ाना चाहिए । इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करते समय अति लघु उद्योगों को अधिमान्यता दी जानी चाहिए । ऋण देने में अति लघु उद्योगों को अधिमान्यता दिए जाने के अलावा, इकाई की "जरूरतों" के आधार पर निर्धारित दर्जाकृत क्षमता के अनुरूप उसके आरंभिक दौर में ही उसकी संपूर्ण कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की जानी चाहिए । ऋण सहायता के बारे में बैंक का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र आवेदनकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए । सीमा में वृद्धि करने के अनुरोध पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए और लिया गया निर्णय तत्काल सूचित किया जाना चाहिए ।

- 3.2 बैंक के अधिकारियों/शाखा प्रबंधकों को, अतिरिक्त रोजगार और निर्यात के अवसर निर्मित करने की दृष्टि से लघु उद्योग के महत्व से अवगत करा देना चाहिए। इस क्षेत्र को सुदृढ़ विकास से लघु उद्योग ऋण की वसूली सुचारू रूप से होगी और समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होने से खाता अवरुद्ध (स्टीकी) नहीं होगा। बैंक स्टाफ को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उक्त बातों को प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बैंक स्टाफ और लघु उद्योग उधारकर्ता के बीच विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए ।
- 3.3 बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योगों/छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित सभी ऋण आवेदनों का तत्काल निपटान किया जाता है , सभी बैंकों द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए बशर्ते ऋण संबंधी प्राप्त सभी आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हों तथा उनके साथ विधिवत जांच सूची, जहां निर्धारित हो, संलग्न हो ।
- 3.3.1 लघु उद्योग/छोटे उधार कर्ताओं आदि के 25,000/- रूपये तक के ऋण आवेदनों को उनकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के अंदर निपटाया जाना चाहिए ।
- 3.3.2 5 लाख रूपये तक के विधिवत पूर्ण ऋण आवेदनों को उनकी प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि में निपटाया जाना चाहिए ।
- 3.3.3 सभी दृष्टि से परिपूर्ण एवं जांच सूची, जहां निर्धारित हो, के साथ प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों की प्राप्ति की तारीख को ही बैंक/शाखा द्वारा प्राप्ति-सूचना देनी चाहिए ।
- 3.4 लघु उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग, सिडबी, आईबीए एवं चयनित बैंकों के साथ परामर्श के आधार पर लघु उद्योग इकाइयों के समूहों में स्थित बैंकों की शाखाओं तथा सिडबी के बीच रणनीतिक समझौता के लिए लघु उद्यम वित्तीय केंद्र (एसईएफसी) की योजना बनाई गई है। बैंकों को अपनी शाखाओं एवं लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचान किए गए समूहों में स्थित सिडबी की शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि सिडबी तथा रणनीतिक पार्टनर बैंक द्वारा तय किए गए परस्पर स्वीकार्य परिचालनात्मक तौर-तरीकों के आधार पर एसएमई क्षेत्र (लघु तथा सेवा क्षेत्र को शामिल करते हुए) को लिए सह-वित्तपोषित किया जा सके।

4. अल्प संख्यक समुदायों के लिए ऋण की आपूर्ति

- 4.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कारीगरों और हस्त शिल्पियों के साथ-साथ अल्प संख्यक समुदाय के सब्जी बेचनेवालों, बैलगाड़ी चलानेवालों, चर्मकारों आदि को ऋण की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए । इस संबंध में अल्प संख्यक समुदाय में सिख, मुस्लिम, ख्रिश्चियन, जोरोस्ट्रीयन और बुद्धिस्ट शामिल हैं ।

4.2 बैंकों को संबंधित छमाही की समाप्ति (31 मार्च/30 सितंबर) से 15 दिनों के अंदर इन समुदायों को दिए गए ऋण की प्रगति दर्शाते हुए अनुबंध II में दिए गए फार्मेट में एक अर्ध वार्षिक विवरण उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में वे कार्यरत हैं ।

5. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमज़ोर वर्ग को प्रदान अग्रिमों की देखरेख और उनका मूल्यांकन

5.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सिफारिश किए गए उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारगर उपाय करने चाहिए और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण की प्रमात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से निगरानी करनी चाहिए।

5.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर यथोचित ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय है कि कार्यनिष्ठादन की आवधिक जांच की जाए । इस प्रयोजन के लिए सामान्य पुनरीक्षा के अलावा जैसे कि बैंक आवधिक आधार पर कर रहे हैं, बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा छमाही आधार पर विशिष्ट समीक्षा की जानी चाहिए । तदनुसार, बैंक उक्त अवधि के दौरान पिछली तिमाही की तुलना में घट-बढ़ दर्शाते हुए बैंक के कार्यनिष्ठादन का विस्तृत लेखाजोखा अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर और 31 मार्च को, अनुबंध III में दिए गए प्रोफार्मा में, निदेशक मंडल को प्रस्तुत करें ।

5.3 निदेशक मंडल के प्रेक्षणों के साथ बैंक के कार्यनिष्ठादन में सुधार लाने के लिए किए गए प्रस्ताव/उपायों का उल्लेख करके 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक समीक्षा की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाए । रिपोर्ट संबंधित अवधि की समाप्ति से एक माह के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय को पहुंच जानी चाहिए ।

6. सूचना देने की आवश्यकता

6.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध IV में दिए गए प्रोफार्मा में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को देनी चाहिए। विवरणी संबंधित अवधि की समाप्ति से एक माह के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच जानी चाहिए ।

6.2 राज्य महासंघ के सदस्य बैंकों को उक्त विवरणी की एक प्रति संबंधित महासंघ को भेजनी चाहिए ताकि वे बैंक के कार्यनिष्ठादन की निगरानी कर सकें ।

6.3 विवरणी के भाग I के स्तंभ 3 से 7 से यह देखा जा सकता है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की प्रत्येक मद में कमज़ोर वर्ग को दिए गए अग्रिमों को भी शामिल करना है ।

6.4 इसके अलावा, विभिन्न श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और अन्य को दिए गए अग्रिमों का विस्तृत ब्योरा देते समय यह सावधानी बरती जाए कि सूचनाएं देने में दोहराव न हो और विवरणी के भाग II के स्तंभ 23 से 27 में दिए गए आंकड़ों को ही भाग I के संबंधित स्तंभ के सामने दर्शाया जाए ।

7. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र/कमजोर वर्ग को दिए अग्रिम के लिए रजिस्टर

संबंधित आंकड़ों के समेकन को सुगम बनाने के लिए बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की मदों के उल्लेख के लिए एक रजिस्टर रखें तथा दूसरे रजिस्टर में प्रत्येक कार्यकलाप के लिए एक अलग संविभाग बना कर कमजोर वर्ग के अंतर्गत दिए कुल अग्रिमों का ब्योरा दर्ज करें ताकि प्रत्येक कार्यकलाप के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमजोरवर्ग के अंतर्गत दिए गए कुल अग्रिमों की जानकारी किसी भी समय आसानी से उपलब्ध हो सके । इन रजिस्टरों का प्रोफार्मा भारतीय रिजर्व बैंक को अनुबंध IV में प्रस्तुत की जानेवाली वार्षिक विवरणी के अनुसार होना चाहिए ।

अनुबंध - I

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र/कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले अग्रिमों की मद-सूची

[पैरा 2.1 देखें]

1. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र

1.1 कृषि और कृषि - सहायक कार्यकलाप

1.1.1 कृषि कार्यकलापों के लिए व्यक्तियों को अग्रिम देना

1.1.1.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन कृषि कार्यकलापों के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं;

(क) बैंक नियमित सदस्यों को, नाममात्र सदस्यों को नहीं, प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी, और प्राथमिक भूमि विकास बैंक आदि जैसी किसी एजेंसी के मार्फत न देते हुए, सीधे वित्तपोषण प्रदान करेंगे ।

(ख) क्षेत्र में मौजूद क्रेडिट एजेंसी से "कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के बाद ही ऋण देंगे ।

(ग) बैंकों को वित्तपोषण के मानकों का पालन करना होगा और भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार जमानत प्राप्त करनी होगी ।

1.1.1.2 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड की "एंग्रिक्लिनीक्स एण्ड एंग्रिबिजनेस सेंटर्स" वित्तपोषण योजना के अंतर्गत दिए गए वित्त को कृषि प्रयोजनों के लिए सीधे किसानों को दिया गया वित्त पोषण माना जाएगा । इसे वार्षिक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार विवरण में कृषि और कृषि सहायक कार्यकलापों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए ।

1.1.1.3 अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों कृषि कार्यों के लिए ऋण देने हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार दे सकते हैं और ऐसे ऋणों को कृषि के लिए अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

1.1.1.4 द्रप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई पद्धति एवं कृषि मशीनरी में लेनदेन करने के लिए बैंकों द्वारा प्रति डीलर 20 लाख रूपये तक के ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के एक भाग के रूप में कृषि के लिए अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जानेवाले वार्षिक विवरण में इस शीर्ष के अंतर्गत सूचित किया जाएगा ।

1.1.2 कृषि सहायक कार्यकलापों के लिए व्यक्तियों को अग्रिम

प्राथमिक सहकारी बैंकों के सदस्यों द्वारा किए जा रहे क्रिया कलापों में निम्नलिखित कृषि सहायक क्रिया कलाप शामिल होंगे :

1.1.2.1 डेअरी और पशुपालन विकास।

1.1.2.2 मत्स्य पालन विकास।

1.1.2.3 मुर्गी, सुअरपालन आदि विकास।

1.1.2.4 घोड़ा पालन, मधुमख्खी पालन, रेशम पालन आदि का विकास और रखरखाव । तथापि रेसवाले घोड़ों के पालन को इसमें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

1.1.2.5 बैलगाड़ी, उँट गाड़ी, बोझ ढोनेवाले पशुओं आदि की खरीद।

1.1.2.6 मुर्गी का खाद्य, पशुओं का चारा आदि जैसे सहायक कार्यकलापों के लिए निवेश का वितरण।

- 1.2 ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों आदि के विकास के लिए लघु औद्योगिक इकाइयां, उपस्कर/प्रणाली**
- 1.2.1 लघु और सहायक उद्योग**
- 1.2.1.1 लघु औद्योगिक इकाइयां वे हैं जो माल के निर्माण/अभिसंस्करण/परीक्षण/टायर रिट्रेडिंग (ठंडी/गर्म प्रक्रिया के जरिए) कार्यकलापों/कॉफी संसाधन और अभिसंस्करण (कॉफी उगाना शामिल नहीं) जल चक्की के निर्माण के कारोबार में लगी है और संयंत्र और मशीनरी में जिनका निवेश 100 लाख रूपये से अधिक नहीं है ।**

सहायक उद्योग वह औद्योगिक उपक्रम हैं जो छुट्टे पुर्जे तैयार करने/पुर्जे/उपस्करों का उत्पादन करने, सब एसेंबलिंग करने, औजार बनाने या बिचौलियागिरी करने/सेवाएं प्रदान करने - आदि में लगी हैं या प्रस्तावित हैं और आपूर्ति कर्ता हैं या उस रूप में प्रस्तावित हैं और जो अपने उत्पादन या सेवाओं का जैसी भी स्थिति हो, 50% से अनधिक, एक या अधिक अन्य औद्योगिक उपक्रमों को प्रदान करती हैं और संयंत्र और मशीनरी जैसी अचल आस्तियों में जिनका निवेश 100 लाख रूपये से अधिक नहीं है । इन उद्योगों को लघु उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है ।

नोट : ऊपर बताया गया कोई भी लघु उद्योग और सहायक उद्योग अन्य किसी भी औद्योगिक उपक्रम का सहायक नहीं होगा /के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होगा ।

छूट

- (क) 24.12.1999 से पहले स्थापित वे लघु औद्योगिक इकाइयां, संयंत्र और मशीनरी में जिनका निवेश 300 लाख रूपये तक है और उन्हें 10 दिसंबर 1997 की भारत सरकार की अधिसूचना सं.एसओ.857 (ई)के अनुसार लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था या वे इकाइयां जिन्हें लघु उद्योग दर्जा दिए जाने के कारण जिन्हें राज्य प्राधिकारियों से अंनंतिम पंजीकरण प्राप्त हो गया है, 24 दिसंबर 1999 के आदेश के बावजूद लघु औद्योगिक इकाइयां बनी रहेंगी बशर्ते 10 दिसंबर 1997 के आदेश में निर्दिष्ट 180 दिनों की सीमा के भीतर अंनंतिम पंजीकरण करवा लिया गया हो । ऐसी इकाइयों को दिया गया कोई भी अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग को दिया गया अग्रिम माना जाएगा ।
- (ख) होजरी, हस्त औजारों, लेखन-सामग्री, दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स की कतिपय मदों तथा खेलकूद के सामानों की कतिपय मदों के निर्माण में लगे लघु उद्योगों की संयंत्र और मशीनरी में निवेश की अधिकतम सीमा को अनुबंध VI के अनुसार 100 लाख रूपये से बढ़ाकर 500 लाख रूपये कर दिया गया है ।

नोट : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के अंतर्गत शामिल करने के लिए किसी लघु औद्योगिक इकाई का लघु औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकरण होना अनिवार्य नहीं है ।

1.2.1.2 केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदें

वर्तमान में 29 सितंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.पीसीबी.सं.13/09.09.001/2005-06 के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को अग्रेषित परिपत्र के अनुसार 28 मार्च 2005 तक केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 506 मदें हैं।

- 1.2.1.3 कुटीर और लघु उद्योग के व्यापक 22 गुणों के अंतर्गत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा वित्तंपेषित इकाइयों को जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) (ग) के साथ पठित धारा 17 (2) (खख) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त उपलब्ध है, इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा । वे हैं -

1.	चमड़ा निकालना और तैयार करना
2.	चमड़े की वस्तुएं
3.	कुम्हारगिरी
4.	धान और अन्न की हाथ से कुटाई
5.	आटा चक्कियों तथा बेकरी सहित धान की मिलें
6.	तेलधानी
7.	पाम गुड़
8.	गने का गुड़ एवं खांडसारी
9.	फलों एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी
10.	पेय पदार्थ उद्योगों सहित कृषि एवं समुद्री उत्पादों तथा वन्य उत्पादों का विनिर्माण एवं प्रसंस्करण
11.	बढ़ीझिगिरी तथा लोहारगिरी, मधुमखबी पालन तथा शहद के उत्पादों जैसे अन्य ग्रामोद्योग
12.	हस्तकला उद्योग
13.	सामान्य अभियांत्रिकी
14.	रासायनिक अभियांत्रिकी एवं रसायन उद्योग
15.	भवन निर्माण सामग्री
16.	रेशम उद्योग
17.	नारियल जटा
18.	करघा सोसायटियां
19.	सूती कपड़ा वस्त्रोद्योग एवं अन्य वस्त्रोद्योग
20.	मुद्रण, जिल्दसाजी तथा छपाई
21.	आरा मशीन, काष्ठउद्योग तथा फर्नीचर एवं फिक्सचर, एवं
22.	खेलकूद, बीड़ी, बटन, कार्ड बोर्ड, तथा अन्य कागज उत्पाद, वास्तविक एवं कृत्रिम रत्नों एवं पत्थरों की कटाई एवं चमकाई जैसे विविध उद्योग, ऊर्जा के नए नवीकरणीय स्रोतों के विकास हेतु उपस्कर/प्रणालियों का प्रयोग

1.2.1.4 ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोत

इस श्रेणी में ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए उपस्करों/प्रणालियों के निर्माण और उपयोग में लगे लघु उद्योग कार्यकलाप शामिल हैं जो इस प्रकार हैं;

1.	फ्लैट प्लेट सौर संग्राहक
2.	संकेंद्रित एवं नलिका प्रकार के संग्राहक
3.	सौर कूकर
4.	सौर वाटर हीटर तथा सिस्टम
5.	वायु / गैस / द्रवतापी प्रणालियां
6.	सौर प्रशीतक, शीत भंडारणगृह तथा वातानुकूलित प्रणालियां
7.	सौर फसल ड्रायर एवं प्रणालियां
8.	सोलर स्टिल्स एवं डिसलाइन प्रणालियां
9.	सौर तापीय तथा सौर फोटो वोल्टेटिक रूपांतरण

10.	सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणालियां
11.	वाटर पंपिंग एवं अन्य प्रयोगों हेतु सौर फोटो वोल्टैटिक माइक्रोपॉवर पैनल
12.	पवनचक्की तथा विशेष रूप से निर्मित यंत्र जो पवनचक्की से चालित हो
13.	विद्युत जनिंगों सहित पवन ऊर्जा से चलनेवाला अन्य कोई विशेष उपकरण
14.	बायो गेस संयंत्र तथा बायो गैस इंजिन
15.	बैटरी चालित या इंधन सेल चालित वाहनों सहित विद्युत चालित वाहन
16.	कृषि एवं नगरपालिक के कचरे के रूपांतरण के उपाय जिनसे ऊर्जा पैदा होती है
17.	समुद्री तरंगों तथा तापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपस्कर
18.	उपर्युक्त में से किसी मद के विनिर्माण में प्रयुक्त मशीनरी एवं संयंत्र

1.2.2 **कुटीर उद्योग, खादी और ग्रामीण उद्योग, कारीगर और अति लघु उद्योग**

- 1.2.2.1 कुटीर उद्योग, खादी और ग्रामीण उद्योग, कारीगर वे इकाइयां हैं जो उन कार्यकलापों के निर्माण, अभिसंस्करण, परिरक्षण और सेवा प्रदान करने में लगी हुई हैं जिनमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और/या मानवी कलाकौशल शामिल हैं जिन्हें लाभार्थी सामान्यतः अपने घरों में करते हैं ।
- 1.2.2.2 अति लघु उद्योग वे इकाइयां हैं जिनका संयंत्रों और मशीनरी में निवेश, 25 लाख रुपये है, उसकी अवस्थिति भले ही जहां कहीं हो ।

1.2.3 **लघु सेवा और व्यवसाय (उद्योग से संबंधित) उद्यम (एसएसएसबीई)**

- 1.2.3.1 लघु सेवा और व्यवसाय (उद्योग से संबंधित) उद्यम वे हैं जिनका, भूमि और भवन को छोड़कर, अचल आस्तियों में निवेश 10 लाख रुपये है, उन्हें लघु सेवा और व्यवसाय उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग वर्ग में शामिल किया जाता है ।
- 1.2.3.2 लघु सेवा और व्यवसाय उद्यमों के लिए वर्तमान में पात्र और अपात्र क्रियाकलापों की सूची अनुबंध V में दी गई है ।

1.2.4 **खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण और वानिकी**

1.2.4.1 **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा ऋण और अग्रिम**

- (क) बैंकों द्वारा खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों को दिये गये ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा ।
- (ख) बैंकों द्वारा उधार के प्रयोजन के लिए वानिकी को भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है । बैंक इस क्षेत्र के विकास के लिए बैंकक्षम योजनाओं/वानिकी के अंतर्गत आनेवाले कार्यकलापों को वित्तीय प्रदान करने के अपने प्रयासों में तीव्रता लाएं ।
- (ग) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उक्त दोनों क्षेत्रों को किए गए ऋण वितरण (केवल प्रत्यक्ष ऋण) की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जानेवाली वार्षिक विवरणी में "कुटीर/लघु उद्योग को ऋण और अग्रिम" (सूचना प्रारूपों की मद 2) के अंतर्गत दें ।

- 1.2.4.2 अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा ऋण और अग्रिम -**
- (क) अति लघु क्षेत्र को उधार देने के लिए अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एनबीएफसी या अन्य वित्तीय मध्यस्थियों को दिए गए ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा ।
- (ख) कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, आदि को अति लघु क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में हुड़को को दिये गये बैंक वित्त को लघु औद्योगिक (अतिलघु) क्षेत्र को दिए गए अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाए ।
- एनबीएफसी/वित्तीय मध्यस्थियों/हुड़को के माध्यम से अतिलघु क्षेत्र को ऋण प्रदान करते समय बैंक समुचित तंत्र विकसित करें ताकि इस बात से संतुष्ट होने पर कि अंतिम उधारकर्ता स्तर पर संबंधित मानदंडों अनुपालन किया गया है तथा बैंक में कड़ा वित्तीय अनुशासन रखा जाता है तथा निधियों का अंत्य उपयोग सुनिश्चित किया जाता है यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऋण को समुचित रूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- (ग) अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा उक्त मदों के अंतर्गत वितरित ऋण को एक अलग उपशीर्ष "कुटीर/लघु उद्योग को ऋण और अग्रिम" (रिपोर्टिंग फार्मेट की मद सं. 2) के अंतर्गत सूचित किया जाए ताकि इन संस्थाओं को आगे ऋण दिए जाने संबंधी जानकारी केंद्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय में तत्काल उपलब्ध रहे ।
- 1.2.5 अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा पट्टेदारी और किराया खरीद**
- चुनी गई शाखाओं में विभागीय स्तर पर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा लघु औद्योगिक क्षेत्र को दी गई लीजिंग और किराया खरीद को लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए बशर्ते लाभार्थी इन अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माने जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को और इस विषय पर अन्य मापदंडों को पूरा करता हो।
- 1.3 छोटे सड़क और जलमार्ग परिचालकों को अग्रिम**
- ऐसे छोटे सड़क और जलमार्ग परिचालकों को जिनके पास (वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित वाहन सहित) छः से अधिक वाहन नहीं हैं ऐसे प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जिनकी मांग और मीयादी देयताएं (डीटीएल) 25 करोड़ रुपये हैं, दिए गए ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा ।
- ऐसे छोटे सड़क और जलमार्ग परिचालकों को जिनके पास (वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित वाहन सहित) 10 से अधिक वाहन नहीं हैं ऐसे प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जिनकी मांग और मीयादी देयताएं 25 करोड़ रुपये से अधिक हैं, दिए गए ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा ।
- छोटे सड़क और जलमार्ग परिचालकों को वित्त प्रदान करने के प्रयोजन से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा ट्रकों के लिए वित्त प्रदान करने हेतु एनबीएफसी को दिए गए बैंक ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण माना जाएगा बशर्ते अंतिम उधारकर्ता (छोटे सड़क और जलमार्ग परिचालक) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्रता संबंधी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है । बैंक को वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन करना चाहिए और निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए । एनबीएफसी को दिए गये ऋणों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जानेवाली वार्षिक विवरणी में अलग उप शीर्ष के अंतर्गत अनुबंध 4, भाग I और II में क्रम सं. 3 (ii) के सामने दी जानी चाहिए ।

एनबीएफसी को ऋण देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 अक्टूबर 1994 के परिपत्र सं.शबैवि. डीएस.पीसीबी. 25/13.05.00/94-95 और 24 मई 1996 के परिपत्र शबैवि.डीएस.पीसीबी. परि.63/13.05.00/95-96 में निहित अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

1.4 खुदरा व्यापारी

- 1.4.1 आवश्यक घरेलू वस्तुओं (उचित मूल्य की दुकानों) के लेनदेन करनेवाले निजी खुदरा व्यापारी को दिए अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमा माना जाएगा ।
- 1.4.2 अन्य निजी खुदरा व्यापारियों जिनकी ऋण सीमा 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है उन्हें प्राथमिकताप्राप्त अग्रिम माना जाएगा ।

1.5 छोटे कारबारवाले उद्यम

- 1.5.1 व्यक्ति और फर्मों सहित ऐसे छोटे कारबारवाले उद्यम जो व्यावसायिक सेवाओं से इतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए है और जिनकी उपकरणों की कुल लागत कार्यशील पूँजी की किसी उच्चतम सीमा के बिना 20 लाख रूपये से अधिक नहीं है । बैंक किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों की जरूरतों के आधार पर कार्यशील पूँजी की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसे छोटे कारबारी उद्यमों की एक सूची नीचे प्रस्तुत की गई है ।
 - 1.5.1.1 कमिशन के आधार पर माल बेचने वाले एजेंट
 - 1.5.1.2 बुकिंग, क्लिअरिंग एवं फॉरवर्डिंग एजेंट
 - 1.5.1.3 इस्टेट एजेंट
 - 1.5.1.4 छापखाना और प्रकाशन गृह आदि
 - 1.5.1.5 हेअर ड्रेसिंग सलून
 - 1.5.1.6 रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन आदि
 - 1.5.1.7 ऑटोमोबाइल, एअरकंडिशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन उपकरण आदि जैसी विभिन्न प्रकार की मशीनों की सर्विसिंग और दुरुस्ती इस क्षेत्र में ऊपर पैरा 1.2.3 में बताए गए एसएसएसबीई शामिल नहीं हैं ।

1.6 व्यवसायी एवं स्वनियोजित व्यक्ति

- 1.6.1 व्यवसायी एवं स्वनियोजित व्यक्ति वे हैं जिनकी उधार लेने की सीमा 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है और उसमें से 2.00 लाख रूपये से अनधिक राशि कार्यशील पूँजी के लिए होनी चाहिए । जिन कार्यकलापों में व्यक्ति का, उस अकेले के परिवार सदस्यों का कलाकौशल या श्रम लगता है उन्हें इस श्रेणी या व्यक्तियों में शामिल किया जाएगा । इन व्यक्तियों को दिए ऋणों में उपस्कर खरीदने, दुरुस्त करने या मौजूदा उपस्करों को नवोन्मेषी बनाने और/या कारबार परिसर खरीदने या दुरुस्त करने, या औजार खरीदने और/या दंत चिकित्सकों सहित मेडिकल प्रेक्टीशनरों, सनदी लेखापालों, वास्तुविदों, सर्वेयरों भवन निर्माताओं या प्रबंध परामर्शदाताओं, वकीलों, सॉलीसीटरों, इंजीनियरों, परामर्शदाताओं, या ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी कला में प्रशिक्षित हों, उसके पास किसी ऐसी संस्था की डिग्री या डिप्लोमा हो, जो सरकार द्वारा स्थापित हो, उसे आर्थिक सहायता मिलती हो और वह सरकार मान्य हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बैंक ने उस क्षेत्र में जिससे में वह जुड़ा हुआ है, तकनीकी रूप से योग्य या कुशल मान लिया हो/को दिए गए अग्रिम शामिल हैं । तथापि, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाके में प्रेक्टिस करनेवाले योग्य मेडिकल प्रेक्टिशनरों के मामलों में सकल उधार सीमा 15.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

और उसमें से 3.00 लाख रूपये कार्यशील पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए । आगे, किसी योग्य मेडिकल प्रेक्टिशनर को उक्त सीमा के अंदर एक मोटर कार खरीदने के लिए दिया गया अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाने के लिए पात्र होगा ।

- 1.6.2 योग्य मेडिकल प्रेक्टिशनर को छोड़कर कार, मोटर वाहन खरीदने के लिए व्यावसायियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को ऊपर बताई गई सीमा और रीति से दिया गया ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम नहीं माना जाएगा ।
- 1.6.3 सॉफ्टवेयर व्यवसायियों को दिया गया 10.00 लाख रूपये तक का ऋण इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा ।
- 1.6.4 इसके अलावा, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को दिए गए सभी अग्रिम स्व-नियोजित व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम माने जाएंगे ।

• जेरॉक्स आपरेटर	• हथकरघा बुनकर
• छोटी चाय की दुकान का मालिक	• दूध इकट्ठा करनेवाले
• सुतार/बढ़ई	• बाँस वर्कर
• नलसाज	• रजाई बनानेवाले
• लांडरस	• लेस कारीगर
• सब्जी/फल/अंडे/मछली बेचनेवाले	• हैंड ब्लॉक प्रिंटर
• फेरीवाले	• नए कपड़े बनानेवाले
• हाथगाड़ी खींचनेवाले	• पुराने और पहने हुए कपड़े बेचनेवाले आदि

1.7 शैक्षणिक ऋण

- 1.7.1 शैक्षणिक ऋण में शिक्षा के प्रयोजनके लिए व्यक्तियों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं जब कि संस्थाओं को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं । इसमें इस प्रयोजन के लिए विशेष योजना यदि कोई हो, के अंतर्गत दिए सभी अग्रिम शामिल हैं ।

1.8 आवास ऋण

- 1.8.1 भवन निर्माण, उसके परिवर्धन, फेरबदल, मरम्मत आदि के लिए निम्नानुसार दिए गए ऋणों को आवास ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

 - 1.8.1.1 बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण के एक भाग के रूप में व्यक्तियों के स्थान पर बिना विचार किए उन्हें अधिकतम 15 लाख रूपये का प्रत्यक्ष आवास ऋण दे सकते हैं।
 - 1.8.1.2 बैंकों द्वारा ग्रामीण तथा अर्थ शहरी क्षेत्रों में भवनों की मरम्मत, उसके परिवर्धन, फेरबदल आदि के लिए व्यैक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर किए गए 1 लाख रूपये तक के ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के रूप में माना जाएगा ।
 - 1.8.1.3 पूर्णतः अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थ मकान बनाने के लिए किसी सरकारी एजेंसी को दी गई वित्तीय सहायता जहां ऋण का हिस्सा प्रति इकाई 5 लाख रूपये से अधिक न हो और ज्ञागी

झोपड़ियों को हटाने और वहां के निवासियों के पुनर्वास के लिए दिए गए सभी अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम एवं कमजोर वर्ग अग्रिम माना जाएगा ।

- 1.8.1.4 सरकारी एजेंसियों के अलावा, पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी एजेंसियों को दी गई वित्तीय सहायता सरकारी एजेंसियों के लिए यथालागृ , सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम के लिए पात्र होगी ।
- 1.8.2 आवास इकाई को दिए ऋण की मात्रा पर विचार किए बिना, पूर्णतः आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक/हुडको द्वारा जारी बांडों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा किए गए सभी निवेशों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में हिसाब में लिया जाएगा ।
- 1.9 **उपभोक्ता ऋण**
1.9.1 उपभोक्ता ऋण में सामान्य उपभोग, चिकित्सा खर्चों, वैवाहिक उत्सवों, अंतिम संस्कारों, जन्मदिन, धर्मोत्सवों आदि के लिए प्रति व्यक्ति 1000/- रूपये से अधिक का ऋण शामिल है ।
- 1.10 साफ्टवेयर उद्योग के लिए ऋण और अग्रिम**
1.10.1 बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रूपये तक की ऋण सीमावाल साफ्टवेयर उद्योग को दिए गए ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र होगा ।
1.10.2 साफ्टवेयर व्यवसायियों को दिये गये 10 लाख रूपये तक के ऋणों को पैरा 1.6.3 में बताए गए अनुसार "व्यवसायियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों" की श्रेणी में शामिल और सूचित किया जाएगा । साफ्टवेयर उद्योग को दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को वार्षिक विवरण में एक अलग शीर्ष "साफ्टवेयर उद्योग" में सूचित किया जाए ।

2. कमजोर वर्ग

- 2.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को दिए गए सभी अग्रिम ।
- 2.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को छोड़कर सभी लाभार्थियों को श्रेणी 1.1 से 1.6 के अंतर्गत दिए गए 50,000/- रूपये से अधिक अग्रिम ।
- 2.3 सड़क और जलमार्ग परिचालकों को साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, छोटी नाव आदि खरीदने और उनकी मरम्मत करने और कल पुर्जे बदलने के लिए 50,000/- रूपये तक के अग्रिम ।
- 2.4 शैक्षणिक ऋण के संबंध में उन व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम जिनकी मासिक आय 2000/- रूपये से अधिक नहीं है ।
- 2.5 पूर्णतः अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थ मकान बनाने के लिए किसी सरकारी एजेंसी को दी गई वित्तीय सहायता जहां ऋण का हिस्सा प्रति इकाई 5 लाख रूपये से अधिक न हो और झुग्गी झोपड़ियों को हटाने और वहां के निवासियों के पुनर्वास के लिए दिए गए सभी अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम एवं कमजोर वर्ग अग्रिम माना जाएगा ।
- 2.6 सरकारी एजेंसियों के अलावा, कमजोर वर्ग को पुनर्वित्त (आवास वित्त) के लिए राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी एजेंसियों को दी गई वित्तीय सहायता सरकारी एजेंसियों के लिए यथालागृ , सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम तथा कमजोर वर्ग अग्रिम के लिए पात्र होगी।

अनुबंध - II

**अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों, शिल्पियों, सज्जी विक्रेताओं
गाड़ी खीचनेवालों, चर्मकारों आदि के लिए प्राथमिकताप्राप्त
क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह का विवरण
(देखें पैरा 4.2)**

शहरी सहकारी बैंक का नाम -----
31 मार्च (वर्ष) / 30 सितंबर (वर्ष) ----- को समाप्त अर्द्ध वर्ष का विवरण

(लाख रुपये में)

कुल बकाया अग्रिम		प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम		प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की तुलना में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए अग्रिमों का %	
------------------	--	--	--	--	--

क्र.स.	श्रेणी	मार्च/ सितंबर को समाप्त पिछले वर्ष के अंत में बकाया राशि		नए वितरित ऋण			समीक्षाधीन अर्ध वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		उधारकर्ताओं की संख्या	राशि (रुपये)	उधारकर्ताओं की संख्या	राशि (रुपये)	वितरित राशि (रुपये)	उधारकर्ताओं की संख्या	राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिख							
2	मुस्लिम							
3	इसाई							
4	जोरोस्ट्रीयन							
5	बौद्ध							
	कुल							

अनुबंध - III

**बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जानेवाला ज्ञापन
देखें पैरा 5.2**

**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - अद्वार्धिक
समीक्षा. की स्थिति**

- I. 1. बैंक का नाम
2. स्थान
3. राज्य
4. शाखाओं की संख्या

की स्थिति
(हजार रुपये)

विवरण	समाप्त पिछले वर्ष की छमाही	समाप्त पूर्व वर्ष की छमाही	चालू वर्ष की समाप्त छमाही
II. 1. कुल जमाराशियां			
2. कुल उधार			
3. कुल ऋण और अग्रिम			
4. ऋणजमा अनुपात			
III. 1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल ऋण और अग्रिम			
2. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग को कुल ऋण और अग्रिम			
3. ऊपर मद (II के 3) का मद (III के 1) में प्रतिशत			
4. ऊपर मद (III के 2) का मद (III के 1) में प्रतिशत			
5. बैंक की कुल अतिदेयताएं *			
6. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अतिदेय *			
7. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत अतिदेय *			

IV. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों का क्षेत्रवार ब्रेक-अप			
1. कृषि एवं कृषि सहायक कार्यकलापों के लिए अग्रिम			
2. कुटीर/लघु उद्योग आदि को ऋण और अग्रिम			
3. वाहन खरीदने के लिए सड़क /मोटर परिवहन परिचालकों को अग्रिम			
4. खुदरा व्यापारी			
5. लघु उद्यम			
6. व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति			
7. शैक्षणिक			
8. आवास ऋण			
9. उपभोक्ता आदि ऋण			
10. साफ्टवेअर उद्योग को ऋण और अग्रिम			
V. 1. जहां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र / कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, उसके कारण			
2. किसी उप समूह विशेष के लिए ऋण और अग्रिम पर ध्यान केंद्रित किया गया, उसके कारण			
3. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र / कमजोर वर्ग के अंतर्गत कार्य-निष्पादन में सुधार के सुझाव			
4. निदेशक मंडल के प्रेक्षण और कार्य-निष्पादन में सुधार और उसके कार्यान्वयन के लिए निर्णीत कार्रवाई			

* कृपया कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाएं

तारीख

म.प्र./मु.का.अ.

अध्यक्ष

**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमज़ोर वर्ग को उधार के संबंध में
भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली वार्षिक
विवरणी का प्रोफार्म**

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

(देखें पैरा 6.1)

भाग - I

बैंक का नाम :

कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम

विवरणी की तारीख : 31 मार्च

कुल अग्रिमों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का %

बैंक के कुल अग्रिम

कुल कमज़ोर क्षेत्र अग्रिम

----- को बकाया (विवरणी की तारीख)

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में कमज़ोर वर्ग अग्रिमों का %

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(लाख रूपये में)

क्र.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मदे	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	संघ 6 में अतिदेय राशि	उसमें से कमज़ोर वर्ग को अग्रिम *				
							उधारकर्ताओं / इकाइयों की सं.	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	संघ 11 में अतिदेय राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.
	कृषि और कृषि सहायक कार्यकलाप i. कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त										

क्र.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मदे	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 6 में अतिदेय राशि	उसमें से कमज़ोरवर्ग को अग्रिम				
							उधारकर्ताओं / इकाइयों की सं.	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 11 में अतिदेय राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	ii. कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त क. कृषि को ऋण देने के लिए अनुसूचित पोसीबी द्वारा एनबीएफसी को ऋण ख. द्रप /सिंचाई / स्प्रिंकलर / कृषि / मशिनरी										
	iii. कृषि सहायक कार्यकलापों के लिए व्यक्तियों को अग्रिम										
	1 का जोड़										

क्र.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मदे	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 6 में अतिदेय राशि	उसमें से कमज़ोरवर्ग को अग्रिम				
							उधारकर्ताओं / इकाइयों की सं.	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 11 में अतिदेय राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	i. कुटीर / लघु उद्योग एवं उर्जे के नए नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए उपकरण / प्रणाली के लिए प्रत्यक्ष ऋण										
	ii. अतिलघु क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी के माध्यम से ऋण और अग्रिम										
	iii. अतिलघु क्षेत्र के अंतर्गत कारीगरों, हथकरधा बुनकरों आदि को हुड़कों के मार्फत अप्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम										
3.	i. वाहन खरीदने के लिए सड़क और जलमार्ग परिचालकों को अग्रिम										
	ii. ट्रकों के वित्तपोषण के लिए लघु सड़क और जलमार्ग परिचालकों को आगे उधार देने हेतु अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा एनबीएफसी को ऋण और अग्रिम										

क्र.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मदे	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 6 में अतिदेय राशि	उसमें से कमज़ोरवर्ग को अग्रिम				
							उधारकर्ताओं / इकाइयों की सं.	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 11 में अतिदेय राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.	i. आवश्यक घरेलू वस्तुओं में लेनदेन करनेवाले निजी खुदरा / व्यापारी (फेयर प्राइस शॉप्स) ii. अन्य निजी खुदरा व्यापारी जिनकी ऋण सीमा 10.00 लाख से अधिक नहीं है।										
5.	छोटे व्यावसायिक उद्यम										
6.	व्यवसायिक और स्व नियोजित व्यक्ति										
7.	शैक्षणिक ऋण										
8.	आवास ऋण										
9.	उपभोक्ता ऋण										
10.	साफ्टवेअर व्यवसायिकों को दिए गए 10 लाख रूपये तक के ऋणों को छोड़कर साफ्टवेअर उद्योग										
11.	कुल										

* आंकडे विवरणी के भाग II के स्तंभ 23 से 27 तक शामिल किए जाएं।

भाग - II

"कमज़ोर वर्ग" अग्रिम - की स्थिति

क्र. सं.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मदे	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				
		उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 6 में अतिरेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मंजूर सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 11 में अतिरेय राशि
1.	कृषि एवं कृषि सहायक कार्यकलाप										
	i. कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण										
	ii. कृषि के लिए अप्रत्यक्ष ऋण										
	क. कृषि के लिए आगे ऋण देने हेतु अनुसूचित पी सी बी द्वारा एनबीएफसी को उधार										
	ख. द्रप सिंचाई / स्प्रिंकलर / कृषि मशीनरी										
	iii. कृषि सहायक कार्यकलापों के लिए व्यक्तियों को ऋण										
	1 का जोड़										
2.	i. कुटीर / लघु उद्योग एवं उर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों आदि के विकास के लिए उपकरण प्रणाली हेतु प्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम										
	ii. अतिलघु क्षेत्र को एमबीएफसी के मार्फत ऋण देने के लिए ऋण और अग्रिम										
	iii. अतिलघु क्षेत्र के अंतर्गत कारीगरों / हथकरघा बुनकरों को हुड़को के मार्फत अप्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम										

क्र. सं.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मर्दे	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मजूर सीमा	दो गई राशि	बकाया शेष	स्तर 6 में अतिदेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	मजूर सीमा	दो गई राशि
3.	i. वाहन खरीदने के लिए सड़क और जलमार्ग परिचालकों को अग्रिम								
	ii. ट्रकों के वित्तपोषण के लिए लघु सड़क और जलमार्ग परिचालकों को उधार देने के लिए अनु पीसीबी द्वारा एनबीएफसी को ऋण और अग्रिम								
4.	i. जीवनाश्यक वस्तुओं में लेनदेन करनेवाले खुदरा व्यापारी (फेयरप्राइस शॉप)								
	ii. 10.00 लाख रूपये से अनधिक ऋण सीमावाले अन्य निजी खुदरा व्यापारी								
5.	लघु व्यावसायिक उद्यम								
6.	व्यवसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति								
7.	शैक्षणिक ऋण								
8.	आवास ऋण								
9.	उपभोक्ता ऋण								
10.	10 लाख रूपये तक का ऋण दिए गए सॉफ्टवेयर व्यवसायी को छोड़कर सॉफ्टवेअर उद्योग								
11.	कुल								

क्र.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मदे	महिलाएं					अग्रिम की राशि के आधार पर कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत अन्य श्रेणियां				निवल स्थिति भाग I में दर्शायी जाए						
		उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 16 में अतिदेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 21 में अतिदेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दी गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 26 में बकाया राशि	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.	कृषि एवं कृषि सहायक कार्यकलाप																
	i. कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण																
	ii. कृषि के लिए अप्रत्यक्ष ऋण																
	क. कृषि के लिए आगे ऋण देने हेतु अनुसूचित पी सी बी द्वारा एनबीएफसी को उधार																
	ख. द्रप सिंचाई / स्प्रिंकलर / कृषि मशीनरी																
	iii. कृषि सहायक कार्यकलापों के लिए व्यक्तियों को ऋण																
	1 का कुल																

क्र.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मदें	महिलाएं					अग्रिम की राशि के आधार पर कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत अन्य श्रेणियां					निवल स्थिति भाग I में दर्शायी जाए				
		उधारकर्ता�ों / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दो गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 16 में अतिरेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दो गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 21 में अतिरेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दो गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 26 में बकाया राशि
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.	i. कुटीर / लघु उद्योग एवं उर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए उपकरण प्रणाली हेतु प्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम															
	ii. अतिलघु क्षेत्र को एमबीएफसी के मार्फत ऋण देने के लिए ऋण और अग्रिम															
	iii. अतिलघु क्षेत्र के अंतर्गत कारीगरों / हथकरधा बुनकरों को हुड़को के मार्फत अप्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम															
3.	i. वाहन खरीदने के लिए सड़क और जलमार्ग परिचालकों को अग्रिम															
	ii. ट्रकों के वित्तपोषण के लिए लघु सड़क और जलमार्ग परिचालकों को उधार देने के लिए अनु पीसीबी द्वारा एनबीएफसी को ऋण और अग्रिम															
4.	i. जीवनावश्यक वस्तुओं में लेनदेन करनेवाले निजी खुदरा व्यापारी (फेयर / प्राइस शॉप)															
	ii. 10.00 लाख रुपये से अनधिक ऋण सीमावले अन्य निजी खुदरा व्यापारी															
5.	लघु व्यावसायिक उद्यम															
6.	व्यवसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति															
7.	शैक्षणिक ऋण															

क्र.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मर्दे	महिलाएं					अग्रिम की राशि के आधार पर कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत अन्य श्रेणियां					निवल स्थिति भाग I में दर्शायी जाए				
		उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दो गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 16 में अतिरेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दो गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 21 में अतिरेय राशि	उधारकर्ताओं / इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सीमा	दो गई राशि	बकाया शेष	स्तंभ 26 में बकाया राशि
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8.	आवास ऋण															
9.	उपभोक्ता ऋण															
10.	10 लाख रुपये तक का ऋण दिए गए सॉफ्टवेयर व्यवसायी को छोड़कर सॉफ्टवेअर उद्योग															
11.	कुल															

अनुबंध V

(देखें पैरा 1.2.3.2)

लघुस्तरीय सेवा और कारबारी (उद्योग से संबंधित) उद्यमों (एसएसएसबीई) की सूची

भाग - I

1. विज्ञापन एजेंसियां
2. बाजार संबंधी परामर्श एजेंसी
3. उद्योग संबंधी परामर्श एजेंसी
4. उपकरण - किराया और पट्टेदारी
5. टंकण केन्द्र
6. फोटकॉपिंग सेंटर (जेरॉक्सिंग)
7. औद्योगिक फोटोग्राफी
8. औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला
9. औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशाला
10. डेस्क टॉप पब्लिशिंग
11. इंटरनेट ब्राउजिंग / साइबर कैफे स्थापित करना
12. ऑटो मरम्मत, सेवाएं एवं गैरेज
13. परिवार नियोजन, सामाजिक वानिकी, उर्जा संरक्षण एवं वाणिज्यिक विज्ञापन जैसे विषयों पर डाक्यूमेंट्री फ़िल्म कच्चेमाल / तैयार माल के परीक्षण में लगी प्रयोगशालाएं
 - a. इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रीकल उपस्करों / उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत, परीक्षण अर्थात् सभी प्रकार के वाहनों और टेलीविजन, टेपरेकॉर्डर, वीसीआर, रेडियो, ट्रांसफार्मर, मोटर, घड़ियां आदि जैसी किसी भी प्रकार की मशीनरी के रखरखाव, मरम्मत और परीक्षण में लगे सर्विसिंग उद्योग उपक्रम
14. लांड्री एवं ड्रायक्लीनिंग
15. एक्सरे क्लीनिक
16. दर्जी
17. कृषि उपकरणों की सर्विसिंग जैसे कि ट्रेक्टर, पंप, रिग, बोअरिंग मशीने आदि
18. वें ब्रीज
19. फोटोग्राफिक लैब
20. चित्रों / डिजाइनों को बड़ा करने और ब्लू प्रिंट सुविधाएं
21. आइ एस डी / एस टी डी बूथ
22. टेलीप्रिंटर / फैक्स सेवाएं
23. अौद्योगिक संघ द्वारा स्थापित सब-कॉर्ट्कट एक्सचेज
24. स्वैच्छिक संगठनों / गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित इडीपी संस्थाएं
25. प्रक्रियाकरण लैब सहित रंगीन और कृष्ण-ध्वल स्टूडियो
26. पहाड़ी क्षेत्रों में रज्जु मार्ग (रोपवेज)
27. केबल टीवी नेटवर्क लगाना और उसका परिचालन
28. विक्रय अधिकार के अंतर्गत इ पी बी एक्स का परिचालन
29. ब्यूटी पार्लर और पालनाघर (क्रेचेस)

अनुबंध - V

भाग II

उन कार्यकलापों की सूची जिन्हें लघु उद्योग और कारबारी (उद्योग संबंधित)
उद्यम (एसएसएसबोई) नहीं माना गया है

1. परिवहन
2. भंडारण (शीत भंडारण छोड़कर जिसे लघु उद्योग माना गया है)
3. खुदरा /थोक व्यापार स्थापनाएं
4. सामान्य पण्य भंडार
5. औद्योगिक सामान की विक्री की /दुकान
6. रोग विज्ञान प्रयोगशाला सहित स्वास्थ्य सेवाएं
7. कानूनी सेवाएं
8. शैक्षणिक सेवाएं
9. सामाजिक सेवाएं
10. होटल

लघु उद्योग इकाइयों के रूप में वर्गीकृत उद्योगों की सूची जिनका संयत्र
और मशीनरी में निवेश 100 लाख रुपये से अधिक लेकिन 500 लाख रुपये से कम है

सं.	उत्पाद कूट	मर्दों का नाम
		आर्ट सिल्क / मानव निर्मित रेशे की होजरी
1	260315	सिथेटिक के बुने हुए गैस के मेंटल फैब्रिक
		हस्त औजार की मर्दे
2	343101	हैक्सॉ फ्रेम्स
3	343102	चिमटा / पक्कड़
4	343103	पेंचक्स
5	343104	पाना
6	343106	हथौड़िया
7	343108	निहाई
8	343109	लकड़ी काटने की आरी
9	343111	रिंचेस
10	343112	चाकू और कतरनेवाले ब्लेड्स (हाथ से काम करने के लिए धातु, कागज, बांस और लकड़ी सहित सभी प्रकार के)
11	343113	कील निकालने के औजार
12	343114	छेनी
13	343115	सँड़सी
14	343116	तारकटर
15	343199	लोहारी, बढ़ीगिरी, हैंड फोर्जिंग, फाउंड्री आदि के लिए अन्य हस्त औजार
		लेखन सामग्री क्षेत्र
16	319911	लिखने की स्याही तथा फाउटेन पेन की स्याही
17	387201	बॉल प्वाइंट पेन
18	387103	फाउटेन पेन
19	387104	पेन निक्स
20	387105	धात्विक नोक को छोड़कर फाउटेन पेन तथा बॉल पेन के उपकरण
21	387201	पेंसिल
22	387401	हैंड स्टैपलिंग मशीन
23	387501	पेपर पिन
24	387601	कॉर्बन पेपर
25	38760210	यांत्रिक टाइपराइटरों की टाइपराइटर रिबन
26	387901	हैंड नंबरिंग मशीन
27	387903	पेंसिल शार्पनर
28	387907	पेनदान

		दवाइयां तथा फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र
29	31060101	पैरा एमिनो फिनॉल - औद्योगिक ग्रेड
30	310628	पाइराजोलोन्स
31	310650	बैंजिल बैंजोएट
32	310658	नियासाइनामाइड
33	313125	पैरासेटामॉल
34	31315801	पैरा हाइड्रॉक्सी बैंजोइक अम्ल से प्रारंभ होने वाले मेथिल पैराबिन्स तथा सोडियम लवण
35	31315901	पैरा हाइड्रॉक्सी बैंजोइक अम्ल से प्रारंभ होने वाले एथिल पैराबिन्स तथा सोडियम लवण
36	31319501	पैरा हाइड्रॉक्सी बैंजोइक अम्ल से प्रारंभ होने वाले प्रोपिल पैराबिन्स तथा सोडियम लवण
37	3131960	कैल्शियम ग्लूकोनेट
38	310126	एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड जेल
		खेलकूद के सामान
39	261401	सभी प्रकार के खेलकूद के जाल
40	385101	शटल कॉक्स
41	385104	हॉकी स्टिक्स
42	38510510	खेलकूद के सुरक्षात्मक उपस्कर जैसे पैड्स, दस्ताने आदि - मुलायम चमड़े के सामान
43	385106	डंब बेल्स तथा चेस्ट एक्सपैंडर्स
44	385107	क्रिकेट तथा हॉकी गेंद
45	385108	फुटबॉल, वॉली-बाल तथा बास्केट बाल कवर्स

अनुबंध VII
[पैरा 3.4 देखें]
लघु उद्योग वित्तीय केंद्रों के लिए योजना (एसईएफसी)

1. पृष्ठभूमि

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों की शाखाओं एवं समूहों में स्थित सिडबी की शाखाओं के बीच रणनीतिक समझौता की योजना बनाने की घोषणा की थी।

2. प्रस्तावित परिचालनात्मक व्यवस्था

2.1 बैंकों के साथ रणनीतिक समझौता:

इस योजना के अंतर्गत एसएमई क्षेत्र (अति लघु एवं सेवा क्षेत्र सहित) के सिडबी तथा रणनीतिक पार्टनर बैंकों द्वारा बनाई जाने वाली परस्पर स्वीकार्य क्रियाविधियों के आधार पर सह-वित्तपोषण हेतु बैंकों को लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचान किए गए समूहों में स्थित सिडबी की शाखाओं तथा अपनी शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है।

व्याप्ति:

- . देश भर में फैले 21 राज्यों में यूनिडू (यूएनआईडीओ) द्वारा 388 लघु उद्योग समूहों की पहचान की गई है। इन लघु उद्योग समूहों में से 123 समूहों की आवश्यकता सिडबी की 30 मौजूदा शाखाओं द्वारा पूरी की जा रही है तथा वर्ष के दौरान कुछ और शाखाओं/डिलीवरी चैनलों के खोले जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार व्याप्ति को देखा जाए तो जुलाई 2005 के अंत तक सिडबी की 46 शाखाओं के खुलने की संभावना है जिसके दायरे में व्यापक तौर पर 149 लघु उद्योग समूह आ जाएंगे (विवरण संलग्न)।
- . इन समूहों में सिडबी की शाखाओं का "लघु उद्योग वित्तीय केंद्र" (एसईएफसी) के रूप में नया नामकरण किया जाएगा।

2.2 पात्रता संबंधी मानदंड:

परियोजनाएं:

- क) ऋण की मात्रा पर विचार किए बगैर सभी अति लघु यूनिटें एसईएफसी के दायरे में आने की पात्र होंगी। अति लघु क्षेत्र के वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- ख) नई एसएमई यूनिटें (सेवा क्षेत्र की यूनिटों सहित) एसईएफसी योजना के दायरे में आने की पात्र होंगी।
- ग) मौजूदा यूनिटों से विस्तार/आधुनिकीकरण/बहु-आयामीकरण/प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन/विपणन/निर्यात आदि के लिए प्राप्त सभी प्रस्ताव भी इसकी पात्र होंगी।
- घ) जिन मौजूदा यूनिटों का बैंकिंग से कोई संपर्क नहीं है अथवा सीमित संपर्क है वे एसईएफसी के लिए पात्र होंगी।

साझेदारी का पैटर्न:

जैसाकि वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में परिकल्पना की गई है, एसईएफसी बैंक की शाखाओं के साथ एसएसआई यूनिटों की मीयादी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के वित्तपोषण तथा विशिष्ट वित्तपोषण का कार्य करेंगे और इन यूनिटों की कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताएं बैंकों द्वारा पूरी की जाएंगी। रणनीतिक पार्टनर मामले के

आधार पर विशेष रूप से सिडबी द्वारा चालू समय में न दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर वित्तीय सहायता की साझेदारी की व्यवस्था भी बना सकते हैं।

वित्तीय मापदंडः

आम तौर पर ऋण इक्विटी अनुपात, चुकौती अवधि, प्रतिभूति व्याप्ति, ब्याज दर आदि के मानदंड रणनीतिक पार्टनरों की आपसी सहमति के अनुसार तय किए जाएंगे। सिडबी तथा रणनीतिक पार्टनरों की आपसी सहमति से परिचालनात्मक दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएंगे।

2.3 सुपुर्दगी व्यवस्था:

"वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नाममात्र का शुल्क देकर एसएसआई यूनिटों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में सिडबी की विशेषज्ञता का लाभ ले सकते हैं"(वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 84)।

. सिडबी ने ऋण मूल्यांकन एवं रेटिंग ट्रूल (सीएआरटी) मॉडल के जरिए मौजूद बढ़िया अर्जक इकाइयों (50 लाख रुपये तक) के लघु ऋण संबंधी प्रस्तावों का फौरन मूल्यांकन कर लेने की विशेषज्ञता विकसित की है। सिडबी इसी मॉडल को ठीक से संशोधित करके i) हरित क्षेत्र परियोजनाओं, ii) कार्यशील पूँजी मूल्यांकन तथा iii) संमिश्र ऋणों को उसके दायरे में ले आएगी। सिडबी के पास उपलब्ध जोखिम प्रबंधन मॉडल (आरएएम), व्यापक रेटिंग मॉडल के साथ इस मॉडल का उपयोग एसएमई उधारकर्ताओं को दक्ष मूल्यांकन सेवाएं देने में भी किया जा सकता है। यह मूल्यांकन सिडबी तथा बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से भी किया जा सकता है।

. अतिलघु यूनिटों के लिए बैंक त्वरित मूल्यांकन के लिए समुचित रेटिंग मॉडल विकसित कर सकते हैं। सिडबी बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक सरलीकृत मूल्यांकन मॉडल भी विकसित करेगा।

. मूल्यांकन के लिए शुल्क की दर नाममात्र की होगी।

"बैंकों को आवेदन पत्र, प्रलेखीकरण तथा संवितरण क्रियाविधियों आदि का सरलीकरण करने में भी सिडबी अपनी अन्य विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी।"(वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 84)।

. सिडबी ने ऋण प्रलेखीकरण प्रक्रियाओं के लिए कुछ स्व-चालित प्रणालियां विकसित की हैं और उन्हें बैंकों को दिया जा सकता है। प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद यदि बैंकों की इसमें सचि हो तो वे उनमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

2.4 निगरानी व्यवस्था:

"स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए उक्त योजना की कार्यप्रणाली की निगरानी एवं उसमें संशोधन राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा किया जाएगा तथा अनुभव के आधार पर इस योजना के दायरे में और समूहों को लाया जा सकता है। एसईएफसी की सेवाएं अतिलघु औद्योगिक यूनिटों के लिए भी उपलब्ध होंगी।"(वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 84)।

. तिमाही अंतरालों पर समूह स्तर पर हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक को सूचित करने के लिए एसईएफसी द्वारा एक समुचित निगरानी व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

. राज्य स्तरीय बैंकर समिति एसईएफसी योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करेगी।

. स्थाई परामर्शदात्री समिति अपनी बैठक में एसईएफसी के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करेगी।

एसईएफसी के अंतर्गत तिमाही अंतरालों पर आंकड़ों के संग्रह करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक और लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था स्थापित कर सकती है।

.मौजूदा सिडबी शाखाओं के दायरे में आने वाले एसएसई समूहों की सूची:

क्रमांक	शाखा कार्यालय	एसएसई समूहों की संख्या	उत्पाद
1	हैदराबाद	5	सीलिंग पंखा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल्स-थोक दवाएं, हैंड पम्प सेट तथा फाउंड्री
2	पटना	1	ब्रास एवं जर्मन बर्टन
3	दिल्ली	19	स्टेनलेस स्टील के बर्टन एवं कटलरी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, चमड़े के उत्पाद, यांत्रिक इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकिंग करने की सामग्री, कागज उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, वायर ड्राइंग, धातु फैब्रिकेशन, फर्नीचर, इलेक्ट्रो प्लॉटिंग, ऑटो कंपोनेट, होजरी, सिले-सिलाए कपड़े (रेडीमेड गारमेंट), सैनिटरी फीटिंग्स
4	अहमदाबाद	17	फार्मास्यूटिकल्स, रोगन एवं इंटरमीडिएट्स, सांचे में ढले प्लास्टिक के उत्पाद, सिले-सिलाए कपड़े, टेक्सटाइल्स मशीनरी कल-पुर्जे, हीरा संसाधन, मशीनी कल-पुजे, ढलाई एवं फोर्जिंग, इस्पाती उपकरण, लकड़ी के उत्पाद एवं फर्नीचर, कागज उत्पाद, चमड़े के चप्पल-जूते, वाशिंग पाउडर एवं साबुन, संगमरमर की सिल्लियां, बिजली चालित पंप, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑटो कल-पुर्जे
5	सूरत	4	हीरा संसाधन, विद्युत करघा, लकड़ी के उत्पाद एवं फर्नीचर, टेक्सटाइल्स मशीनरी
6	बड़ौदा	3	फार्मास्यूटिकल्स-थोक दवाएं, प्लास्टिक संसाधन, लकड़ी के उत्पाद एवं फर्नीचर,
7	गोवा	1	फार्मास्यूटिकल्स
8	फरीदाबाद	3	ऑटो कल-पुर्जे, इंजीनियरिंग समूह, पत्थर-तोड़ाई (स्टोन क्रशिंग)
9	गुड़गाँव	5	ऑटो कल-पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उपस्कर, सिले-सिलाए कपड़े, यांत्रिक इंजीनियरिंग उपस्कर
10	पारवानू (बड़ी)	1	इंजीनियरिंग उपस्कर,
11	जम्मू	3	स्टील री-रोलिंग, तेलघनी मिल, राइस मिल
12	जमशेदपुर	1	इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन
13	बैंगलूरु	6	विद्युत करघा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सिले-सिलाए कपड़े, लाइट इंजीनियरिंग, चमड़े के उत्पाद
14	कोच्चि/एरना कुलम्	3	रबर के उत्पाद, विद्युत करघा तथा समुद्री खाद्य पदार्थ का संसाधन
15	औरंगाबाद	2	ऑटो कल-पुर्जे तथा फार्मास्यूटिकल्स-थोक दवाएं
16	मुंबई	11	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल्स-थोक दवाएं, प्लास्टिक के खिलौने, वस्तुएं, सिले-सिलाए कपड़े, होजरी, इंजीनियरिंग उपस्कर, रसायन, पैकिंग करने की सामग्री, हाथ के औजार, प्लास्टिक

			के उत्पाद
17	नागपुर	6	विद्युत करघा, इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन, स्टील के फर्नीचर, सिलेसिलाए कपड़े, हाथ के औजार, खाद्य संसाधन
18	पुणे	6	ऑटो कल-पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, सिलेसिलाए कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स-थोक दवाएं, फाइबर ग्लास
19	ठाणे	2	फार्मास्यूटिकल्स-थोक दवाएं एवं समुद्री खाद्य-पदार्थ
20	भोपाल	1	इंजीनियरिंग उपस्कर, रसायन
21	इंदौर	4	फार्मास्यूटिकल्स-थोक दवाएं, सिलेसिलाए कपड़े, खाद्य संसाधन, ऑटो कल-पुर्जे
22	लुधियाना	9	ऑटो कल-पुर्जे, साइकिल कल-पुर्जे, होजरी, सिलाई मशीन के कल-पुर्जे, फोर्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग
23	जयपुर	7	रत्न एवं आभूषण, बाल बियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, खाद्य पदार्थ, कपड़े, चूना, यांत्रिक इंजीनियरिंग उपस्कर
24	चेन्नै	3	ऑटो कल-पुर्जे, चमड़े के उत्पाद, इलेक्ट्रोप्लेटिंग
25	कोयंबटूर	6	डीजल इंजिन, कृषि उपकरण, मशीन उपकरण, ढलाई एवं फोर्जिंग, विद्युत करघा, वेट ग्राइंडिंग मशीन
26	तिरुपुर	1	होजरी
27	नोएडा/गाजि याबाद	10	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, खिलौने, रसायन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, कपड़े, यांत्रिक इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकिंग करने की सामग्री, प्लास्टिक के उत्पाद, रसायन
28	कानपुर	3	जीनसाजी (सैडलरी), सूती कपड़े, चमड़े के उत्पाद
29	वाराणसी	4	शीटर्वर्क (ग्लोब लैंप), विद्युत करघा, कृषि उपकरण, बिजली के पंखे
30	देहरादून	1	छोटे वैक्यूम बल्ब
31	नाशिक (शीघ्र खुलने वाला)	1	स्टील फर्नीचर
	कुल	149	

**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
पर
मास्टर परिपत्र**

1. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय वस्तु
	शबैवि (पीसीबी) परि.25/09.09.01/2005-06	09.01.2006	लघु उद्योग वित्तीय केंद्रों की योजना (एसईएफसी)
2.	शबैवि (पीसीबी) परि.13/09.09.01/2005-06	29.09.2005	लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत अनन्य विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना सं.एस.ओ.420(ड) दिनांक 28 मार्च 2005
3.	शबैवि (पीसीबी) परि.48/09.09.01/2004-05	17.05.2005	खेलकूद के सामानों के संबंध में लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश की सीमा में वृद्धि - शहरी सहकारी बैंक
4.	शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) परि..29/09..09.01/2004-05	14.12.2004	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - आवास ऋण - शहरी सहकारी बैंकों के लिए उच्चतम सीमा में वृद्धि
5.	शबैवि (केका) बीपीडी.पीसीबी.8/09..09.01/2004-05	02.08.2004	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
6.	शबैवि.केका.बीपीडी.सं.38/09.09.01/2003-04	19.03.2004	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - विशेषीकृत मदों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश की सीमा में वृद्धि
7.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी) सं.3/09.09.01/2003-04	09.07.2003	पीसीबीएस द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
8.	शबैवि.बीपीडी.एसयूसीबी.सं.1/09.09.01/2003-04	09.07.2003	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - एग्रीक्लिनिक्स तथा एग्रीबिजनेस सेंटर के वित्तीयन की योजना
9.	शबैवि.सं.पॉट/40/09.09.01/2001-02	06.04.2002	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - निर्दिष्ट होजिरी/हस्त औजार मदों के लिए लघु उद्योग की निवेश सीमा में वृद्धि
10.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.23/09.09.01/2000-01	01.01.2001	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन
11.	शबैवि.प्लान सं.7/09.09.01/2000-2001	11.12.2000	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - सॉफ्टवेयर उद्योग को ऋण
12.	शबैवि.सं.प्लान.एसपीसीबी.01/09.09.01/2000-2001	01.07.2000	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - कृषि के लिए आगे ऋण देने हेतु एनबीएफसी को ऋण देना
13.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.37/09.09.01/99-2000	31.05.2000	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन
14.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.27/	31.03.2000	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय वस्तु
	09.09.01/99-2000		को ऋण का अभिनियोजन
15.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.7/ 09.09.01/99-2000	22.12.1999	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण - आवासीय वित्त
16.	शबैवि.प्लान.सं.पीसीबी. 1/ 09.09.01/99-2000	27.08.1999	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - खाद्य और कृषि आधारित प्रक्रिया, वानिकी और अतिलघु क्षेत्र के उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह
17.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.5/ 09.09.01/99-2000	27.08.1999	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - खाद्य और कृषि आधारित प्रक्रिया एवं वानिकी के लिए ऋण प्रवाह
18.	शबैवि.सं.प्लान.17/09.09.01/ 99-2000	03.07.1999	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन
19.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.17/ 09.09.01/98-99	30.01.1999	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - खुदरा व्यापार
20.	शबैवि.सं.प्लान.जीआर.एसयूबी.5/ 09.09.01/98-99	18.11.1998	ट्रकों के वित्त पोषण की जमानत पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण
21.	शबैवि.सं.प्लान. 45/09.09.01/ 97-98	26.03.1998	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन
22.	शबैवि.सं.प्लान.42/09.09.01/ 97-98	19.12.1998	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - लघु उद्योग को अग्रिम
23.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.4/ 09.09.01/97-98	06.01.1998	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम की देखरेख करना - विवरण/विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना
24.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.24/ 09.09.01/97-98	01.12.1997	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
25.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.33/ 09.09.01/96-97	13.12.1996	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा कृषि कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण
26.	शबैवि.सं.प्लान.(पीसीबी) 6/09.09.01/94-95	22.07.1994	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
27.	शबैवि.सं.प्लान.68/09.09.01/ 93-94	09.05.1994	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
28.	शबैवि.सं.48/09.09.01/93-94	13.01.1994	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - लघु उद्योग को अग्रिम
29.	शबैवि.सं. 133/09.09.01/93-94	11.09.1993	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - लघु उद्योग की परिभाषा में संशोधन
30.	शबैवि.सं.प्लान.2/यूबी.17(बी)/ 92-93	08.07.1992	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम की देखरेख करना - विवरण/विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना
31.	शबैवि.पीएँडओ.40/यूबी.17(बी)/ 91-92	18.12.1991	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
32.	शबैवि.पीएँडओ.142/यूबी.17बी/ 86-87	18.08.1987	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
33.	शबैवि.पीएँडओ.105/यूबी.17बी/ 86-87	27.06.1987	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
34.	डीओ.शबैवि.पीएँडओ.1217/यूबी. 17(ई)/84-85	01.04.1985	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
35.	डीओ.शबैवि.पीएँडओ.687/यूबी.1 7(बी)/84-85	29.11.1984	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
36.	शबैवि.पीएँडओ.995/यूबी.17(बी) /83-84	12.04.1984	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय वस्तु
37.	डीओ.सं.डीबीओडी.यूबीडी.पीएण्डओ 494-510-यूबी.17(बी)/83-84	29.12.1983	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
38.	डीबीओडी.यूबीडी.पीएण्डओ.197/ यूबी.17(बी)/83-84	09.09.1983	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
39.	एसीडी.यूबीडी.199/यूबी.17/81- 82	02.06.1982	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण
40.	एसीडी.प्लान.(आईएफएस) 835/ एचजी.9/80-81	02.04.1981	लघु उद्योग की परिभाषा
41.	शबैवि.प्लान.पीसीबी.36/09.09.01 /	13.03.2001	टायर रिट्रेंडिंग और कॉफी क्युरिंग/ प्रक्रिया कार्यकलापों को लघु उद्योग के रूप में मान्यता
42.	शबैवि.पीओटी.परि. 11/ 09.09.01/2001-02	10.09.2001	जलचक्की (घरट) को लघु उद्योग के रूप में मान्यता

छ) निबंधक, सहकारी सोसायटियां को संबोधित परिपत्र

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय वस्तु
1.	शबैवि.सं.प्लान. परि (आरसीएस).9/ 09.22.01/95-96	01.09.1995	आवास योजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
2.	शबैवि.पीएण्डओ.796/यूबी.17 (बी)- /83- 84	05.03.1984	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कृषि और सहायक कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करना